न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 18 / 2026

तारीख दायर–26.05.2026
तारीख निर्णय–05.06.2026

1. श्री देवीलाल पुत्र गोलीया उर्फ गोला मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)

........वादी

बनाम

1. श्री खाना उर्फ खानीराम पुत्र गोलीया उर्फ गोला मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
2. श्रीमति हकरी पत्नी स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
3. श्री देलाराम पुत्र स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
4. श्रीमती केशरी पुत्री स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
5. श्रीमती सकुडी पुत्री स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
6. श्री गोपिलाल पुत्र स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
7. चितावडीफला ग्राम पंचायत लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री मुकेश चौबिसा
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा लसाडिया पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 160 व पुराना 140 में वर्णित आराजी नम्बर 2698 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, एवं आराजी नम्बर 2698 / 2 रकबा 0.0216 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1512 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगणो एवं प्रतिवादीगणों संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगणों के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाघा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगणों को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नंही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगणों के

मध्य विभाजन की डिकी पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फ़रमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउड्स के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन् मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों को विधिवत् सम्मन् तामील कराये गये वादी एवं प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात् का मिट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर बटवारा करने को सहमत है तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध् दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधारं पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा लसाडिया पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 160 व पुराना 140 में वर्णित आराजी नम्बर 2698 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, एवं आराजी नम्बर 2698/2 रकबा 0.0216 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1512 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि का वर्णीत हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

1. श्री देवीलाल पुंत्र गोलीया उर्फ गोला मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)

........वादी

बनाम

1. श्री खाना उर्फ खानीराम पुत्र गोलीया उर्फ गोला मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
2. श्रीमति हकरी पत्नी स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
3. श्री देलाराम पुत्र स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
4. श्रीमती केशरी पुत्री स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
5. श्रीमती सकुडी पुत्री स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाड़िया ज़िला सलूम्बर(राज.)
6. श्री गोपिलाल पुत्र स्व0 श्री माना मीणा निवासी चितावडी फला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर(राज.)
7. चितावडीफला ग्राम पंचायत लसाड़िया जिला सलूम्बर (राज.)
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री मुकेश चौबिसा
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा (सहमति)

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 05.06.2026 को प्रस्तुत होने पर वादीगणो का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है खाता संख्या नया 160 व पुराना 140 में वर्णित आराजी नम्बर 2698 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, एवं आराजी नम्बर 2698/2 रकबा 0.0216 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1512 हैक्टेयर भूमि में सहमति के आधार पर वादी का 1/8 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/8 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 से 06 का संयुक्त हिस्सा 1/8 वा हिस्सा श्रीमती धुलकी पत्नी गोलिया मीणा का देहावसान हो चुका है जिसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व माना के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 06 है श्रीमती धुलकी के हिस्से की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 से 06 में संयुक्त जो माना के वारिसान है उक्त वादग्रस्त भूमि को हिस्से अनुसार विभाजन करने पर उभयपक्ष की सहमति होने से उक्त भूमि को पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर वाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)